महेन्द्र रंगा
MAHENDRA RANGA
मुख्य आयुक्त
CHIEF COMMISSIONER

सत्यमेव जयते

विकसित भारत अभियान
1947 TO 2047

केवल विभागीय प्रयोगार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
मुख्य आयुक्त कार्यालय
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
जयपुर

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER
CGST & CENTRAL EXCISE
Jaipur

13 अगस्त, 2024
D.O. No. GCCO/TECH/MISC/440/2023

प्रिय सहकर्मी

'संवाद': अगस्त, 2024

पेरिस ओलंपिक 2024 जारी है! हालाँकि, ये खेल एक प्रभावशाली नजारा है, फिर भी, ये हमें प्रबंधकीय और प्रशासनिक पहलुओं में महान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सुश्री मनु भाकर निशानेबाजी में अग्रणी रही हैं। उनके दोहरे कांस्य पदकों ने न केवल ओलंपिक के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है, बल्कि पूरे देश को प्रेरित करने का काम भी किया है। वह दृढ़ता और कभी न हार मानने वाली भावना की कहानी है। 50 मीटर राइफल में स्वप्निल कुसाले की अभूतपूर्व सफलता हमें शांत प्रवृति के गुण सिखाती है। भारतीय हॉकी टीम ने 1972 के बाद लगातार दो बार ओलंपिक पदक जीतते हुए अपने कांस्य पदक को दोहराया। हॉकी टीम हमें दुनिया में भारत का सही स्थान सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करती है। पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा का रजत पदक हमें सदैव और बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि हमारे प्रतिस्पर्धी अपने खेल में अप्रत्याशित सुधार कर सकते हैं। ऐसे में हम अतीत की उपलब्धियों के भरोसे नहीं रह सकते। भारतीय एथलीट, अपनी अटूट प्रतिबद्धता और असाधारण प्रतिभा के साथ, वास्तव में इंच-दर-इंच ओलंपिक में उत्कृष्टता की विरासत बना रहे हैं। हालाँकि, हमें अपनी शक्ति के अनुरूप सफलता के लिए बड़े कदम उठाने के लिए रचनात्मक प्रयास करने की आवश्यकता है।

2. वर्ष 2024 का केन्द्रीय बजट माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमे भारत के आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया गया है। वित्त विधेयक ने 53वीं जीएसटी परिषद की सिफ़ारिशों को प्रतिबिंबित करते हुए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में महत्वपूर्ण संशोधन पेश किए हैं। विशेष रूप से, धारा 73 और 74 के स्थान पर नई धारा 74ए, कर मांग जारी करने और न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है। इसके अतिरिक्त, धारा 128ए वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए कुछ मांग नोटिसों पर धारा 73 के तहत ब्याज और शास्ति माफ करते हुए एक माफी योजना प्रदान करती है। इसके अलावा, धारा 16 में उपधारा (4) को शामिल करने से वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा 30.11.2021 तक बढ़ जाती है, जिससे अनुपालन सम्बंधी आसानी होगी और व्यवसायों पर कर का बोझ कम होगा।

3. श्री शशांक प्रिय, सदस्य, सीबीआईसी ने हाल ही में जयपुर जोन का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की और डीआरसी-03 के लंबित मामलों को कम करने, जांच और बकाया की वसूली सहित विभिन्न मुद्दों पर मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कई प्रमुख क्षेत्रों में जोन के प्रदर्शन की सराहना की और अपीलों के निपटान और पंजीकरण आवेदनों को रद्द करने के प्रयासों में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सीजीएसटी, जयपुर के संभाग-ए में 'फ्यूज्ड डिवीजन-मेट्रो मॉडल' नामक एक पायलट परियोजना को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य कार्यात्मक आधार पर रेंज को पुनर्गठित करना है।

केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005
CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR-302005
Off. : 0141-2385155, Fax : 0141-2385130, e-mail : ccu-cexjpr@nic.in, Twitter Handle : @CGSTJAIPURZONE

सदस्य महोदय ने जयपुर में व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने करदाताओं के लिए कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की भी चर्चा की। उन्होंने खुले दिमाग और पारदर्शिता के साथ व्यापार और उद्योग के विभिन्न मंडलों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी ध्यान दिया। हमें भी व्यापार और उद्योग के साथ अपने व्यवहार में सदस्य महोदय का अनुकरण करने की जरूरत है।

4. बोर्ड ने सभी समूह 'ए' संवर्गों में वार्षिक स्थानांतरण कर दिए हैं। परिणामस्वरूप, ग्रुप 'ए' कैडर में कुछ बदलाव हुए हैं। हम आने वाले अधिकारियों का इस आशा के साथ स्वागत करते हैं कि वे जोन में अपनी उत्कृष्ट सेवायें देंगे। हम निवर्तमान अधिकारियों को उनके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करते हैं। पेशेवर के रूप में हमारे विकास के लिए ऐसे परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमने ग्रुप 'ए' के अलावा अन्य सभी कैडर में एजीटी आदेश जारी करने का काम पहले ही पूरा कर लिया है। चुनाव संबंधी प्रतिबंधों के चलते हम आदर्श समय सीमा हासिल नहीं कर पाए, हालांकि, हमने सर्वोत्तम संभव समय सीमा हासिल की है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी हम अपनी एजीटी को इसी तरह की दक्षता के साथ संचालित करने में सक्षम होंगे। हमने ग्रुप 'ए' में पारिणामिक एजीटी को भी पूरा कर लिया है। वर्ष के लिए स्थानांतरण अभ्यास के समापन पर पहुंचने के साथ, प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है।

5. जुलाई माह में राजस्व संग्रहण रु. 1973 करोड़ रुपये के साथ एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। गत वर्ष इसी अवधि में 1687 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण हुआ था। इस वर्ष जुलाई तक की वृद्धि दर 16 प्रतिशत है, जबकि पिछले वर्ष इस समय तक वृद्धि दर केवल 2.4 प्रतिशत थी। यह उल्लेखनीय वृद्धि राजस्व सृजन में तेजी की प्रवृत्ति का संकेत देती है।

6. नकली इनवॉइस और धोखाधड़ीपूर्ण आईटीसी पारित करने का मुद्दा सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से कर प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल कर प्रणाली की अखंडता को कमजोर करता है, बल्कि राजस्व हानि का बहुत बडा कारण है। सीजीएसटी, जयपुर ने फर्जी कंपनियों के एक बड़े नेटवर्क की पहचान कर उसका भंडाफोड़ करके इस कदाचार से निपटने में काफी प्रगति की है। उनके द्वारा 1230 करोड़ रुपये के नकली आईटीसी लेनदेन से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल कुल 1196 फर्मों की पहचान की गयी है । सीजीएसटी, जोधपुर ने सीसीओ की केंद्रीय आसूचना इकाई (CIU) द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर कार्रवाई करते हुए मेसर्स आर. एल. ट्रेडर्स और मेसर्स दशमेश ट्रेडर्स के खिलाफ दो मामलों का पता लगाया है, जिनमें 5.15 करोड़ रुपये की नकली आईटीसी पारित की गई थी। इसी प्रकार, सीजीएसटी उदयपुर ने 4 करोड़ रुपये के आईटीसी से जुड़े फर्जी इनवॉइस जारी करके नकली आईटीसी को पारित करने की इसी तरह की धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल तीन गैर-मौजूद फर्म मेसर्स श्री विनायक एंटरप्राइजेज, मेसर्स कावेरी ट्रेडिंग और मेसर्स शिवम सेल्स की पहचान की है। मेसर्स कावेरी ट्रेडिंग के मामले में, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) विभाग ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जिससे धोखाधड़ी का पता लगाने में सहायता मिली। ये कार्यवाहियॉ फर्जी इनवॉइस जारी करने और आईटीसी को गलत तरीके से पारित करने के उन्मूलन के लिए जोन द्वारा एक ठोस प्रयास का हिस्सा हैं। इसका हमारे राजस्व पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमें बेईमान ऑपरेटरों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखने की आवश्यकता है।

7. एक महत्वपूर्ण मामले में, सीजीएसटी, जोधपुर ने अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय कर (दर) की प्रविष्टी सं. 5 के संदर्भ में सीपीडब्ल्यूडी से प्राप्त अवसंरचना सेवाओं पर एम्स, जोधपुर द्वारा 99 करोड़ रुपये की जीएसटी राशि का भुगतान न करने का खुलासा किया है। इसके अलावा, एम्स, जोधपुर भर्ती आवेदन शुल्क और स्क्रैप आदि की बिक्री पर 5 करोड़ रुपये का जीएसटी चुकाने में भी विफल रहा है। इसी तरह, सीजीएसटी जयपुर के द्वारा की गयी कार्यवाही में मेसर्स विकास ट्रेडर्स द्वारा ई-वे बिल के बिना तंबाकू उत्पादों के परिवहन से संबंधित मामले में 121.79 करोड़ की कर चोरी का पता चला, जिसमें अब तक 1.35 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। इसके अतिरिक्त सीजीएसटी अलवर ने कर चोरी के एक महत्वपूर्ण मामले की पहचान की है, जहां मेसर्स हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने एचएसएन 39, 40, 48, 65, 84, 85 और 90 के तहत मोटरसाइकिल पार्ट्स को

गलत वर्गीकृत करते हुए 18% की दर से जीएसटी का भुगतान जबकि इस पर एचएसएन 8714 के तहत 28% की दर से जीएसटी देय था। इस गलत वर्गीकरण के कारण 569.17 करोड़ रुपये की चोरी हुई।

8. डीजीजीआई, जयपुर ने भी फर्जी फर्मों के एक रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो श्री राजेंद्र खंडेलवाल द्वारा संचालित फर्मों को आईटीसी के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता था। श्री खंडेलवाल ने 10.66 करोड़ रुपये के आईटीसी के फर्जी दावे को स्वीकार किया और स्वैच्छिक कर भुगतान के रूप में अब तक 7.70 करोड़ रुपये जमा करवा दिए हैं। एक अन्य मामले में, मेसर्स शंकर ट्रेडर्स के विरुद्ध मामले के मास्टरमाइंड श्री रौनक कुमार जैन ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा 12 आपूर्तिकर्ता फर्मों से 20.99 करोड़ रुपये की आईटीसी की धोखाधड़ी की गई और वस्तु/सेवा की प्राप्ति या आपूर्ति के बिना फर्जी इनवॉइस के आधार पर 32 लाभार्थी फर्मों को 21.07 करोड़ रुपये की आईटीसी पारित की गई।

9. बोर्ड ने विभागीय अधिकारियों के पेशेवर कौशल को बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना शुरू की है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए एक संरचित समयसीमा के साथ आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 20 पाठ्यक्रमों को पूरा करने को अनिवार्य बनाती है। पाठ्यक्रम को विभिन्न दक्षताओं को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो डोमेन ज्ञान, कार्यात्मक क्षमताओं और व्यवहार कौशल में एक सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करता है। अधिकारियों को इस कार्यक्रम का पालन करने और निरंतर सीखने और सेवा में उत्कृष्टता के लिए संगठन की प्रतिबद्धता के अनुरूप, पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

10. डीजी सिस्टम्स ने एंडपॉइंट उपकरणों (जीएसटीएन बीओ के लिए डीजी सिस्टम्स द्वारा आपूर्ति किए गए डिवाइस + 1% वृद्धिशील राजस्व योजना के तहत डीओएल द्वारा प्रदान किए गए लैपटॉप + क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा स्थानीय आईटी बजट के तहत क्रय किये गए पीसी) के क्रय और वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए सीबीआईसी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित एक नई नीति स्थापित की है। इस नीति का उद्देश्य सरकारी निधियों की दक्षता को अधिकतम करना और विभागों में एक मानकीकृत प्रक्रिया का सृजन करना है। इस नीति को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया जा रहा है और यह सभी एंडपॉइंट उपकरणों के लिए एक डिजिटल रजिस्टर के रूप में काम करेगा। हालाँकि पोर्टल का पूर्ण कार्यान्वयन 01.10.2024 से ऑनलाइन होगा, उक्त नीति वर्तमान में 01.07.2024 से ऑफ़लाइन प्रभावी है। सभी आयुक्तगणों को सलाह दी जाती है कि वे नीति का तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करें।

11. भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं अत्यंत दुखद घटनाएँ हैं। केरल में हाल ही में हुए भूस्खलन दुःख का स्रोत रहे हैं। हमारे पहाड़ों में भी वर्षा के असामान्य रीति देखी गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ है। इस दुखद समय में एक-दूसरे के प्रति हमारी सहनशीलता और करुणा की परख होती है। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं भारत के लोगों के साथ हैं।

12. इस महीने के 'ज्ञान संग्रह' के संस्करण को निम्नलिखित तीन लेखों से समृद्ध किया गया है, जो योगदान देने वाले अधिकारियों के समर्पण और विशेषज्ञता को दर्शाते हैं:-

(क) Machinery provisions for raising of demand of tax and imposition of penalty – Inter-relation between Section 73/74/127 and Section 122 of the CGST Act, 2017 – लेखक: श्री देवी दत्त शर्मा, अधीक्षक, सीजीएसटी सम्भाग-ई, बहरोड; एवं,

(ख) एनडीपीएस एक्ट 1985 के दौरान की जाने वाली कार्यवाही – अनुभव के पिटारे से थोडी सी जानकारी – लेखक: श्री सुनील कुमार वर्मा, अधीक्षक, सीजीएसटी, अलवर; एवं,

(ग) Problem Structuring and Decision Making - लेखक: श्री रविन्द्र खोखर, निरीक्षक, मुख्य आयुक्त कार्यालय, जयपुर।

इस तरह के योगदान 'ज्ञान संग्रह' की रीढ़ हैं, जो इसे ज्ञान और मार्गदर्शन चाहने वाले पाठकों के लिए एक बहुमूल्य संसाधन बनाते हैं।

<u>केवल विभागीय प्रयोगार्थ</u>

13. *सेवानिवृत्ति मार्ग का अंत नहीं है; यह खुले राजमार्ग की शुरुआत है।* हमने अपने सहयोगियों श्री अशोक कुमार, सहायक आयुक्त, श्री सीता राम मीणा, सहायक आयुक्त, श्री सत्यवीर सिंह आर्य, अधीक्षक, श्री कुंज बिहारी शर्मा, निरीक्षक, श्री बाबू लाल राजोरिया, कर सहायक, श्री दिनेश चंद्र कल्याणी, कनिष्ठ लिपिक और श्री सत्य नारायण, हेड हवलदार को पिछले माह सेवानिवृत्ति पर विदाई दी है। अधीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार जैन ने भी जुलाई के दौरान सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। मैं कामना करता हूं कि उनके सामने राह खुली व आसान हो। हम जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करने पर उनकी निरंतर खुशी के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।

अगले माह तक,

आपका शुभेच्छु

(महेन्द्र रंगा)
मुख्य आयुक्त

सेवा में:- टीम जयपुर जोन।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

(i) ओएसडी, अध्यक्ष, सीबीआईसी, नई दिल्ली।
(ii) निजी सचिव, सदस्य (जीएसटी/सीई/एसटी एवं क्षेत्रीय प्रभारी), सीबीआईसी, नई दिल्ली।
(iii) मुख्य आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर
(iv) प्रधान एडीजी, नासिन /डीजीजीआई, जयपुर

ज्ञान संग्रह

अगस्त, 2024

GYAN SANGRAH

AUGUST, 2024

Machinery provisions for raising of demand of tax and imposition of penalty – Inter-relation between Section 73/74/127 and Section 122 of the CGST Act, 2017

By – Devi Dutt Sharma, Superintendent,
CGST Division-E, Behror

Machinery provisions for determination of demand of tax and imposition of penalties under the CGST Act, 2017 are contained in **Chapter- XV,** titled **"Demands and Recovery",** which covers sections 73 to 84 of the CGST Act, 2017. However, prescription of the quantum of penalties for different types of offences is covered separately in sections 122 to 138 under **Chapter- XIX,** titled **"Offences and Penalties",** of the CGST Act, 2017. Thus, the prescription of penalties is separate from the machinery provisions for the imposition of penalties.

2. In certain situations, the prescription of penalties and machinery provisions for its imposition are contained in the same section such as sections 123, 129 and 130 of the CGST Act, 2017. Further, in some specific situations such as assessment of non-filers or unregistered persons etc. the determination of tax has to be made under the relevant section (62, 63 and 64) itself without resorting to the machinery provisions under section 73 or 74 of the CGST Act, 2017.

The Question- Imposition of penalty alone (ITC based on goods-less invoices)

3. The question of inter-relation of section 73/74/127 with section 122 of the CGST Act, 2017 arises in situations where it appears that an offence has been committed by a person and such offence attracts penalty as provided in section 122 of the CGST Act, 2017 but the demand of tax/ ITC is not required to be made from such person as some other person is liable to pay the tax or ITC involved. Cases involving availment of ITC on invoices raised without underlying supply of goods or services or cases of passing on of ITC through invoices without underlying supply of goods or services fall under the instant category.

Situations where sections 73/74 apply

4. Machinery provisions concerning determination of demand of tax and imposition of penalty are contained in section 73 and 74 of the CGST Act, 2017 which are part of Section- XV. Both these sections provide (similarly) for determination of demand in the following situations:-

(A) Any tax has not been paid;
(B) Any tax has been short paid;
(C) Any tax has been erroneously refunded;
(D) Input tax credit has been wrongly availed or utilised.

Similarity of language employed (Sections 73/74 vis-à-vis Section 122)

5. The situations as described above are similar to the situations specified as constituting offences attracting penalty in sub-section (2) of section 122 of the CGST Act, 2017 which reads as follows:-

“any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where the input tax credit has been wrongly availed or utilized”

6. Though neither section 73 nor section 74 refers to sub-section (2) of section 122 but the language employed in sections 73/74 indicates that the machinery provisions prescribed therein apply to the offences as mentioned in the said sub-section (2) of section 122, though, besides applying to some other situations as well.

No independent prescription of penalty under section 73

7. Though sections 73 and 74 do not refer to section 122, or more precisely, sub-section (2) thereof, but the language employed in section 73, sub-section (1), indicates that section 73 does not prescribe any independent penalty rather the penalty prescribed under clause (i) of sub-section (2) of section 122 has to be imposed by following the procedure prescribed under section 73. This is evident from the language employed in last leg of sub-section (1) of section 73, which reads thus:-

> “XXXXX, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount as specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 **and a penalty leviable under the provisions of this Act** or the rules made thereunder.”

8. Thus, it is evident that section 73 itself does not prescribe any penalty rather the same prescribes the procedure for determination of demand and imposition of penalty for the offences which have been specifiedsomewhere else in the Act (section 122) for the circumstances mentioned therein. Since the circumstances for imposition of penalty as specified in section 73 and 74 are no different and the same find mention in sub-section (2) of section 122, it follows that section 73 and 74 are the machinery provisions for imposition of penalty for the offences specified in section 122, especially sub-section (2) and, also, sub-section (1) thereof.

Scope of sections 73/74 is wider than sub-section (2) of section 122

9. From comparison of the language employed, it can be inferred that while section 122, in sub-section (2), prescribes penalties for the offences committed by **“any registered person who supplies any goods or services or both”** (where tax has not been paid etc.), the procedure for determination of demand and imposition of penalty as prescribed in sections 73 and 74 is wider in scope as the same applies, not only to a registered person who effects outward supplies, but to any person and any situation involving **“any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilized”**.

10. Thus, it can be inferred that all cases of non-payment/ short payment of tax or wrong availment of ITC are covered by section 73/74 if demand of such tax or ITC is required to be raised irrespective of whether supply of goods or services is involved or not. Thus, in cases of availment of ITC without underlying (inward) supply of goods if a demand of ITC is to be raised the same can be raised under sections 74 though such cases are covered by sub-section (1) of section 122 of the CGST Act, 2017 [in clause (vii)] for the purpose of prescription of penalty for the

offence and not by sub-section (2) of section 122 whose language has been employed in section 74.

11. Similarly, there are many other situations where the demand may have to be raised on the person other than the taxable person who supplies goods or services (section 51- TDS or section 52- TCS) and such situations will also be covered under section 73/74 for determination of the demand and imposition of penalty.

<u>CBIC's Circular No. 171/03/2022-GST dated 6th July, 2022</u>

12. CBIC has issued the circular referred to above for clarifying the applicability of demand and penalty provisions on the following three issues arising out of different types of situations in respect of transactions involving fraudulent ITC:-

> **Issue-1:** Where a registered person issues tax invoice to another registered person without any underlying supply of goods or services;
>
> **Issue-2:** Where a registered person issues tax invoices to another person without underlying supply of goods or services and such another person further issues invoices alongwith underlying supply of goods or services and utilises ITC availed on the basis of goods-less invoices; and
>
> **Issue-3:** Where a registered person issues tax invoices to another person without underlying supply of goods or services and such another person passes on such ITC to yet another person by issuing invoices without underlying supply of goods or services.

13.1. The said circular, while clarifying the issue raised at serial number 2 of the table in para-1 thereof states as follows:-

> "Since the registered person 'B' has availed and utilized fraudulent ITC on the basis of the said tax invoice, without receiving the goods or services or both, in contravention of the provisions of section 16(2)(b) of CGST Act, he shall be liable for the demand and recovery of the said ITC, along with penal action, under the provisions of section 74 of the CGST Act, along with applicable interest under provisions of section 50 of the said Act. **Further, as per provisions of section 75(13) of CGST Act, if penal action for fraudulent availment or utilization of ITC is taken against 'B' under section 74 of CGST Act, no penalty for the same act, i.e. for the said fraudulent availment or utilization of ITC, can be imposed on 'B' under any other provisions of CGST Act, including under section 122.**

13.2. The circular further clarifies that the taxable person in Issue-1 will be liable for penal action under section 122(1)(ii) and in Issue-3 will be liable for penal action both under section 122(1)(ii) and section 122(1)(vii) of the CGST Act, 2017.

<u>Imposition of penalty under section 122(1)(ii)/ (vii)- Proper Officer</u>

14. According to the clarification referred to above, in cases where ITC has been availed on the basis of goods-less invoices or where ITC has been passed on by way of issuing goods-less invoices, the taxable person is liable to penalty under section 122 [sub-section (1), clauses (vii) or (ii)] but provisions of section 74 for raising of

demand do not apply to such cases. Therefore, it is necessary to find out the machinery provisions applicable and proper officer for the purpose of imposing penalty in such cases.

15.1. Wherever, in the CGST Act, 2017, any action has been authorised to be taken in any situation, the section itself mentions that the "Proper Officer" shall do something as prescribed therein. **Accordingly, CBIC has assigned "Proper Officers" for the purposes of different sections of the CGST Act, 2017.**

15.2. As per Board's Circular No. 3/3/2017- GST, dated July 5, 2017 as amended by Circular No. 31/05/2018- GST, dated February 09, 2018:-

(i) A Superintendent of Central Tax is the "Proper Officer" for the functions under sections 73 and 74 of the CGST Act, 2017, to be specific, for sub-sections (1), (2), (3), (5), (6), (7), (9) and (10) of both sections 73 and 74;

(ii) For optimal distribution of work, these functions have been assigned to Additional/ Joint Commissioner, Deputy/ Assistant Commissioner and Superintendent by prescribing monetary limits;

(iii) **However, no Proper Officer has been assigned any functions under section 122 of the CGST Act, 2017 and, to be specific, the said section does not direct that the proper officer shall do something (take any action).**

16. Thus, while the machinery provisions under sections 73 and 74 shall apply for imposition of penalty where demand of tax or ITC is also involved, machinery provisions under some other section may have to be applied for conducting proceedings for the imposition of penalty for the other offences specified under section 122 where demand of tax or ITC is not involved.

<u>Imposition of penalty in residual cases- Section 127</u>

17. In order to understand as to which are the different sections that authorize a proper officer to initiate proceedings under the CGST Act, 2017 for determination of demand of tax and imposition of penalty, one may refer to the section which deals with **cases of residual nature requiring imposition of penalties**. Such provisions are contained in **section 127 of the CGST Act, 2017** which reads thus:

> "Where the proper officer is of the view that **a person is liable to a penalty** and **the same is not covered under any proceedings under section 62 or section 63 or section 64, or section 73 or section 74 or section 129 or section 130**, he may issue an order levying such penalty after giving a reasonable opportunity of being heard to such person."

18. That being the section governing residual cases, it can be inferred that proceedings for imposition of penalties in cases of specified nature, and by implication, for demand of tax whose determination precedes the imposition of penalty, can be conducted under the following sections only:-

(A) Section 62: Which deals with cases of best judgment assessment against registered taxpayers, independent of section 73 or section 74;

(B) Section 63: Which deals with cases of best judgment assessment against unregistered (including cancelled) persons, independent of section 73 or section 74;

(C) Section 64: Which deals with cases where a summary assessment of tax is necessary to protect the interests of revenue, and where section 73 and 74 do not apply in the first place but recourse to section 73 or section 74 can also be taken if the order passed under this section is sought to be withdrawn;

(D) Section 73: Which deals with determination of tax and imposition of penalty equivalent to ten percent of tax in cases not involving suppressions of facts etc.;

(E) Section 74: Which deals with determination of tax and imposition of penalty equivalent to tax in cases involving suppression of facts etc.;

(F) Section 129: Which deals with cases of goods and conveyances detained in transit but not involving evasion of tax as such; and

(G) Section 130: Which deals with cases deserving confiscation of goods and conveyances and levy of penalty where intent to evade tax is involved.

19. From the provisions of section 127 and the provisions of other sections mentioned therein it comes out that proceedings for imposition of penalty in cases of specified nature can be conducted under the said seven sections mentioned in section 127 and if any liability to pay penalty is not covered by those seven sections, then proceedings can be conducted under the eighth section,which is the said section 127 itself.

How to apply section 127

20.1. It is pertinent to mention that proper officer for the functions under section 127 of the CGST Act, 2017 is Assistant Commissioner. However, the machinery provisions under the said section 127 simply provide that "he may issue an order levying such penalty after giving a reasonable opportunity of being heard to such person." Thus, except for (i) the issuance of an order and (ii) opportunity of being heard, no other provisions concerning adjudication of penalty are contained in the said section.

20.2. For the purpose of adjudication of any penalties generally, or under section 122(1) (ii) and 122(1)(vii) as well, it is required that:-

(i) A show cause notice is issued to the person against whom there is a proposal to impose penalty;
(ii) The show cause notice is issued within the limitation of time prescribed for raising a demand or proposing imposition of penalty;
(iii) Determination of relevant date for calculation of the limitation of time is done; and
(iv) Determination of the amount of ITC availed of or passed on irregularly is done for calculating the penalty equivalent to ITC availed or passed on.

20.3. However, such provisions are not there in section 127 of the CGST Act, 2017 though section 73 and 74 of the CGST Act, 2017 contain such provisions. By the way, section 122 itself also does not contain such provisions. In such a situation it seems logical that the provisions of section 74 of the CGST Act, 2017 concerning limitation of time, issuance of show cause notice, representation against the proposal and its consideration are applied to the show cause notice issued for imposition of penalty for the offences under section 122, sub-section (1), clauses (ii) and (vii). Provisions concerning monetary limit and conclusion of proceedings may not apply as no demand of tax/ ITC is being raised.

Judgment in NAVAYUGA Engineering CO. LTD. case

21. The above view finds support from a recent judgment dated 23.07.2024 of Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 1024 of 2014 titled M/s Navayuga Engineering Co. Ltd. vs Union of India and Ors. wherein the question arising for consideration, in the matter of inter-play between section 125 and 28 of the Customs Act, 1962 for the purpose of demand of duty under section 125 upon redemption of goods after confiscation, was:-

> "(i) Whether there is a liability to pay customs duty when the confiscated goods are redeemed after payment of fine under Section 125 of the Customs Act, 1962? and (ii) Whether, the liability to pay such duty will include the liability to pay interest on delayed payment under Section 28AB of the Act?"

22.1. It was the contention of the importer in the said case that:-
"(i) as this judgment (referred to by the importer) holds that duty liability in confiscation proceedings arises because of Section 125 and not Section 28, there is no liability to pay interest on delayed payments under Section 28AB; and
(ii) as there is no notice under Section 28, the demand and collection of duty are impermissible."

22.2. Important observations of Hon'ble Supreme Court in the said judgment are as follows:-

"8.2. the Act must always be read as a whole. Once the liability of confiscation is withdrawn after the option to pay fine is exercised and the goods are redeemed, it is natural for the goods to be subjected to duty. The power and the machinery provisions for imposition and collection of duty liability exist only under Section 12 and/or Section 28 and not under Section 125."

"8.9. An important principle that needs to be recognised is that, the customs duty obligation in confiscation proceedings does not occasion either under Section 12 or 28. It has arisen because of the option available and exercised under Section 125. This obligation should not be confused with the method and procedure by which that customs duty is assessed and determined, which is provided under Section 28. It is in this context that we need to consider and explain the decision of this court in Jagdish Cancer case."

23. Vide the said judgment dated 23.07.2024, Hon'ble Supreme Court has held that:-

> "1.1. XXXXX the owner of goods has a liability to pay customs duty, even

after confiscated goods are redeemed after payment of fine under Section 125 of the Act. Furthermore, when confiscation proceedings are initiated under Section 124 of the Act, the obligation to pay duty and other charges under Section 125 will arise only when the owner of goods exercises the option to pay fine for redemption of goods and the Department accepts it. Liability to pay customs duty in such confiscation proceedings under Section 125(2) is distinct from the assessment and determination of duty, which can arise only under Section 28. The duty liability arising under Section 125(2) must be assessed under Section 28. Thus, we answer the second question by holding that once Section 28 applies for determination of duty, interest on delayed payment of duty under Section 28AB follows. XXXXX"

24. By the said judgment dated 23.07.2024, the proposition that when the liability to pay customs duty arises under Section 125(2), the calculation, determination or the assessment of such duty cannot be made under Section 28has been negatived.

Conclusion

25. Thus, in view of the law laid down by Hon'ble Supreme Court as above, it seems appropriate to apply the machinery provisions of section 74 concerning (i) issuance of show cause notice, (ii) limitation of time for passing of order imposing penalty, and (iii) determination of the amount of ITC wrongly availed or passed on (for arriving at the amount of penalty equivalent to such ITC to be imposed) to the proceedings to be conducted by the proper officer for taking penal action under section 122, sub-section (1), clauses (ii) and (vii) in cases of fraudulent ITC based on goods-less invoices not involving demand of ITC or tax.

****

(The write-up is simply intended to share the personal experience of the writer with the colleagues and the views expressed therein may not necessarily represent the stand taken by him on the provisions of law in his official capacity.)

एनडीपीएस एक्ट 1985 के दौरान की जाने वाली कार्यवाही – अनुभव के पिटारे से थोडी सी जानकारी

लेखक - सुनील कुमार वर्मा
अधीक्षक, सीजीएसटी,अलवर

हममें से बहुत से साथियों ने एनडीपीएस एक्ट, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत अफीम, हेरोइन, चरस, डोडा पोस्त, केटामाइन, ड्रग्स, एसेटिक एन हाईड्राइड और इनके साथ नकदी और अन्य निषिद्ध वस्तुओं के छोटे-बड़े प्रकरण सीमावर्ती क्षेत्रों, एयरपोर्ट, ट्रांज़िटऔर रिहायशी इलाकों में दर्ज कर अभिग्रहण और अनुवर्ती कार्यवाही में भाग लिया है। मेरा अनुभव है कि इस प्रकार के प्रकरणों में अधिकतर लोग सक्रिय रूप से भाग लेना नहीं चाहते है या फिर अभिग्रहण के दस्तावेज़ जैसे पंचनामा, टेस्ट मेमो, कई तरह की फर्द, बयान लिखना आदि , जब तक मजबूरी नहीं हो, बनाने मे रुचि नहीं दर्शाते, जिससे कि अदालतों मे सवाल ज़वाब और पेशियों पर आने जाने से बच सके। लेकिन मेरा मानना है कि मौके पर विवेक, विधि और तर्क सम्मत कार्यवाही न केवल केस को मजबूत करेगी वरन ट्रायल और साक्ष्य के दौरान अनुसंधान और बरामदगी करने वाले अधिकारियों/ गवाहों का बचाव भी करेगी, इसी उद्देश्य से ही यह लेख प्रस्तुत है।

मैंने भी विभाग जॉइन करने के प्रारम्भ से ही एनडीपीएस एक्ट, 1985 और सीमा शुल्क अधिनियम, आईपीआर, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, CITES, विदेश व्यापार नीति, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, वाइल्ड लाइफ एक्ट, फ़ेमा, पीएमएलए , जाली मुद्रा से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए कई अभियानों मे सक्रिय रूप से भाग लिया है और परिणाम स्वरूप कई लोग गिरफ्तार हो कर सजा के भागीदार बने और उनकी चल अचल संपत्तियां कालांतर मे राज्यसात भी हुई।

मेरी नौकरी कुछ माह की थी तब श्री गंगानगर मे , बार्डर पर एक बार 4 तस्कर, सीमा के पास स्वर्ण बिस्किट, स्कूटर, ट्रक, एसेटिक एन हाईड्राइड के 202 जरीकेन पकड़े और इस मामले मे बीएसएफ़ के 4 जवान भी पकड़े। तब मुझे और टीम के किसी भी सदस्य को एनडीपीएस प्रकरण का कोई खास अनुभव नहीं था और उस समय संचार माध्यम भी सीमित थे फिर भी यथा समझ सबके सहयोग से मौके पर ही कागजात बनाए और झिझक खत्म हो गई। प्रत्येक प्रकरण चाहे बरामदगी, गिरफ़्तारी, अनुसंधान, ट्रायल और अदालतों के आदेश हमें सीखने और बेहतर तरीके से कार्य करने का अवसर देते है। प्रचलित विधि-विधान, अनुभव और ट्रायल से सीखने और अच्छी प्रेक्टिसेज शेयर करते रहना चाहिए और यह उनके लिए भी आभार होगा जिनसे हम सीखते आये है।

ज़रूरी है कि इस प्रकार के मामलों मे ज़्यादातर कार्यवाही पूर्व सूचना के आधार पर की जाती है इसलिए संभावित कठिनाइयों का भी आकलन ज़रूरी है और दल को पूर्ण तैयारी के साथ जाना चाहिए। टीम का कोई एक साथी ज़रूरी सामग्री जैसे तराज़ू, सील , डीडी किट, मोहर, पैकिंग सामग्री, पर्याप्त खाली फॉर्म, एक्ट, आदि सीज़र बैग में सुनिश्चित करे। हम लोग सीज़र बैग के लिए एक चेक लिस्ट से यह देखते आए है। दल मे पर्याप्त सदस्य और तलाशी के लिए एक अतिरिक्त राज पत्रित अधिकारी की उपलब्धि भी तय की जानी चाहिए। जांच दल में महिला सदस्य की सहभागिता का आकलन भी ज़रूरी है। कई बार घर या कार्यालय की तलाशी के दौरान महिला सदस्य टीम मे नहीं होती थी इसलिए हमने अक्सर थाने या किसी भी सरकारी या अन्य संस्थान से लिखित अनुरोध किया और उसका उल्लेख पंचनामे में भी किया। जांच दल में से यदि कोई सदस्य प्रस्थान करे या नया सदस्य शामिल होतो टाइम सहित उनका उल्लेख करने में कोई हानि नहीं।

इस लेख में संबन्धित धाराओं का उल्लेख इस दृष्टि से नहीं किया गया है कि स्थायी प्रावधान और मौके पर तैयार किए जाने वाले ज़रूरी दस्तावेज़, फ़र्द,जैसे प्राप्त सूचना को रिकॉर्ड पर लेनाऔर उच्च अधिकारी को

भेजना, गवाहों को अनुरोध पत्र और उनकी लिखित सहमति, तलाशी वारंट दिखाने गया और स्वतंत्र स्थानीय गवाहों और परिसर स्वामी /कब्जाधारी के हस्ताक्षर,राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी का विकल्प और लिखित सहमति, बरामद मादक पदार्थको प्रथम दृष्टया पहचानने की फर्द (देखकर, सूँघकर, अनुभव से ...), मुहर के प्रतिदर्श की फर्द, टेस्ट मेमो, बरामदगी के उपरान्त उच्च अधिकारी को सूचना, मौका नक्शा, रुट मैप टाइम लाइन सहित, सेम्पल सीआरसीएल भेजने का पत्र, गिरफ्तारी केआधार लिखित में बताने - सूचित होने के ज्ञापन और उस पर गवाहों का लेख कि उनके सामने बताए गए, गिरफ्तारी उपरांत परिजनो को सूचना का रिकॉर्ड, सेंपल ड्रॉ करने के लिए मजिस्ट्रेट को उपस्थित अनुरोध पत्र इत्यादि बेहद ज़रूरी है और संभवत: हम सब इनके जानकार भी हो।

बरामद ड्रग्स की मात्रा अधिक हो तो वज़न करने की मशीन बाहर से मंगा लेनी चाहिए और उसका स्रोत और लाने वाले सदस्य का कागजात मे उचित अंकन किया जाए। उदाहरण के लिए एक बार थानागाजी मे अफीम की पूर्व सूचना पर तलाशी ली गई और बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त भी बरामद हुये जिसके वजन के लिए पहले से उपलब्ध मशीन सक्षम नहीं थी, इसलिए एक साथी किराए पर तराजू लाये। इसके साथ नमूने के सेंपल 25 ग्राम ड्रॉ करने के लिएउपलब्ध मशीन सक्षम नहीं थी और 25 ग्राम का बाँट नहीं था, इसलिए किराए की तराजू - बाँट से 50 वजन कर, उसे दो भाग मे फिर तोला और इसलिए और नमी के कारण वजन मे अन्तर की संभावना दस्तावेजों मे अंकित की। बाद मेँ सीआरसीएल की रिपोर्ट मे दर्ज वजन और टेस्ट मेमो मे दर्ज वज़न में अंतर की वजह से ट्रायल में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। बरामद सामग्री मे नमी का उल्लेख, इनवेंटरी सत्यापन और डिस्पोज़ल प्रक्रिया में अंतर पाये जाने पर हमेश कारगर ही सिद्ध होता है। तराजू के किराए की रसीद साक्ष्य स्वरूप रेकॉर्ड पर होना भी ट्रायल में सहायक रहा। हाल ही उच्च न्यायालय ने भी ठहराया है कि फोरेंसिक लैब में भेजे गए नमूने के वजन में मामूली विसंगति अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ें नहीं हिला सकती, इसलिए सही और पारदर्शी तरीके से कार्यवाही ही करनी चाहिए।

माननीय न्यायालयों के हाल के निर्णयों के अनुसार नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम की धारा 52 (ए) के अनुसार, नमूने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए जाने चाहिए और केवल जब्त करने के बाद अदालत के समक्ष नमूने पेश करना पर्याप्त नहीं है, और जागरूकता के अभाव में इन निर्देशों की पालना कई मामलों मे देखी गई है , इसलिए प्रचलित नियमो और निर्देशों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है।

कई बार इन्फोर्मर से मिलने, संभावित ख़तरे या किसी आक्षेप को नकारने, सूचना देने वाले की निष्ठा संदिग्ध होने की आशंका, और मिलने की जगह के आस पास सीसीटीवीआदि को ध्यान में रखकर किसी अन्य साथी को नज़र रखने के लिए ले जाना और उच्च अधिकारी को जानकारी देना बेहतर ही होता है।

एक बार श्रीगंगानगर के पास एक छोटे स्टेशन से एक संदिग्ध का पीछा ट्रैन में शुरू किया। संदिग्ध अबोहर स्टेशन पर उतर एक कार से जाने लगा। इस पर कार से उनका पीछा फिर शुरू किया। हमारी कार का नंबर राजस्थान का था। संदिग्ध की कार में कुछ लोग और आए। इनको कहीं कोई डील करनी थी। पीछा करने का संदेह होने पर वो लोग होटल, घरों, सड़कों और गलियों में हमें घुमाते रहे और बाद में मोटर साइकिल से लुका छिपी पर आ गए। संदिग्ध लोगों के पास हथियार भी थे। राजस्थान नंबर का वाहन और टीम के चार लोग पीछा करने के लिए अपर्याप्त पाए गए। दूसरी और डीआरआई टीम को ही संदिग्ध मान कर पंजाब पुलिस भी हमारा पीछा कर रही थी। ऐसे में जन हानि की सम्भावना भी प्रतीत हुई। इसलिए पर्याप्त सावधानी बेहद ज़रूरी है। दूसरी ओर हमें निर्देश देने वाले अधिकारियों को ग्राउंड रियलिटी और बाहरी परिवेश में अपनी हदों के बारे में बताया जाना ,सबकी सुरक्षा के लिए भी बेहद ज़रूरी है।

बरामद करेंसी नोट मे कटे, फटे, और नकली नोट भी हो सकते है इसलिए पंचनामे मे साफ उल्लेख करना चाहिए कि बरामद करेंसी की genuineness की जांच नहीं की गई। इससे बरामद राशि को बैंक,

मालखाने, न्यायालय में जमा कराने पर पंचनामे और डिपॉज़िट स्लिप मे अंतर मिलने पर बरामदगी की सत्यनिष्ठा प्रभावित नहीं होगी।

अभी हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 08/05/2024 और 17/07/2024 में एनडीपीएस मामलों में जमानत स्वीकार करते समय बरामदगी के स्थान और पंचनामे के स्थान मे अंतर पाये जाने पर प्रतिकूल टिप्पणी की है. इस बारे मे उल्लेखनीय है कि एक बार, देर रात को हेरोइन की सूचना पर जयपुर मे पोलो विक्ट्री सिनेमा के पास , प्राइवेट बस से नॉर्थ ईस्ट के एक युवक को दिल्ली से आते हुये रोका और पूछताछ की। सार्वजनिक और असुरक्षित, भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र होने के कारण, उस युवक को गवाहों के साथ कार्यालय लाये और अभिग्रहण की कार्यवाही पूरी की। इस प्रकरण मे टाइम लाईन के साथ रूट का नक्शा भी बनाया था। इस मामले मे किसी भी स्तर परऔर ट्रायल मे परेशानी नहीं आई, क्योंकि दस्तावेज़ घटनाक्रम से सुसंगत थे। इस प्रकरण मे जिस युवक से हेरोइन बरामद की, उसका फोन बंद नहीं किया और उसे सामान्य रूप से बातचीत करने का अवसर दिया जिसके कारण, दिल्ली में एक विदेशी नागरिक(सप्प्लायर) सतर्क नहीं, हो सका और पकड़ा गया।

एक दूसरे प्रकरण में पकड़े गए लोगों के बयानों मे शिक्षा, व्यवसाय, परिजनो का पूरा विवरण उम्र सहित रिकॉर्ड दर्ज किया जिससे बाद में, एक अभियुक्त ने बच्चे के विवाह के आधार पर पैरोल, अन्तरिम जमानत मांगी जो कथित बाल विवाह सिद्ध होने कारण अस्वीकृत हो गई क्योंकि बयानों मेँ संतान की आयु का उल्लेख था।

बीएसएफ़ कार्मिको के कोर्ट मार्शल की कार्यवाही और कस्टडी के दौरान, बयान गवाहों के समक्ष दर्ज बयानों में इसका उल्लेख होने से, रिट्रेक्षण निष्प्रभावी रहा और ट्रायल मे सहायक रहा।

एक बार गढ़ हिम्मतसिंह गांव में एक कमरे से करीब 9.5 किलो चरस बरामद हुई। परिसर में एक वाहन भी था, जिसमे कुछ नहीं पाया गया, लेकिन उसकी छत के कुछ स्क्रू का रंग उतरा हुआ था और कुछ स्क्रू नए नए थे , टीम और हमारे वाहन चालक के संदेह पर, रंग उतरे हुए स्क्रू खोलने पर छत का एक भाग लटक गया और चरस के कुछ पैकेट गिरे। केविटी की गहन तलाशी से 160 किलो चरस का बड़ा केस बना। इसी प्रकार जयपुर में 100 किलो केटामाइन के केस में वाहनों से साक्ष्य , आपत्तिजनक और अभिग्रहण योग्य सामग्री मिली, इसलिए हर तलाशी में सजगता ज़रूरी है।

कई बार सीमावर्ती क्षेत्र मे NDPS के प्रकरण में सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन पाया जाता है और इसके लिए विशिष्ट न्यायालय में परिवाद के साथ सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कारण बताओं ज्ञापन भी दिया जाना ज़रूरी होता है। यदि आयात-निर्यात और विदेशी संपर्क, भुगतान आदि पाये जाए तो सीओआईएन के द्वारा विदेश से साक्षी संकलन के लिए भी त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है जिससे ट्रांसिट में कोई पार्सल है तो विदेश में डिलीवरी रोकी जा सके। तलाशी की जगह स्पीड पोस्ट या कोरियर की रसीद मिले तो अनदेखी न करे। ऐसी रसीदों से नारकोटिक्स बाहर भेजना पाया है और पोर्ट/ विदेशी डाक घर में पड़े कंसाइनमेंट वापिस लाये जा सके।

जब भी किसी बाहरी स्थल पर कोई भी कार्यवाही की जाती है तो वहाँ आराम से या धीरे धीरे कागजात बनाने की बजाय, सारी ज़िम्मेदारी केवल उस अधिकारी पर न छोड़े जिसके नाम सर्च वारंट है।आपरेशन थियेटर की तरह सभी अपना अपना काम बाँट ले और सक्रियता दिखाये। मौके पर ज्यादा अनावश्यक रुकने और भीड़ भाड़ होने से किसी भी अप्रिय घटना की सम्भावना टालने के लिए,केस प्रॉपर्टी, दस्तावेज की सुरक्षा जरूरी है इसलिए जो कार्य दफ्तर में हो सकते है उनको टाला जाना ज़रूरी है। सौभाग्य से मुझे हमेशा ऐसे साथी मिले जिनको तलाशी और बाद की कार्यवाही के लिए अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसके लिए उन सबका आभार। स्थान छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मौके पर सभी कागजों , आर्टिकल/

पैकेज सभी जरूरी लोगों के हस्ताक्षर हो गए हैं और कोई भी कागज या बरामद वस्तु छूटी तो नहीं है।कोर्ट में यह सवाल किया जाता है की कार्यवाही किस अधिकारी के समक्ष या निर्देशन में संपन्न हुई और कागजातों पर उसके हस्ताक्षर कहाँ है, मैंने पाया की मौजूद कुछ सहायक / उप आयुक्त ने अदालती कार्यवाही में पक्षकार न बने इसलिए आना कानी की , इस अवस्था में विवाद करने की जगह पंचनामे में यह उल्लेख किया कि कार्यवाही के दौरान अमुक सहायक / उप आयुक्त भी मौजूद रहे।

बरामदगी के बाद, ऑफिस पहुँचने, सेम्पल लेबोरेटरी भेजने और ड्रग्स के पैकेट मालखाने में जमा करने में समय लग जाता है। विभाग में अक्सर ब्रास सील सीज़र बैग में पड़ी रहती है और उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है जिसके लिए गाइड लाईन की आवश्यकता है। डीआरआई कार्यकाल मे ब्रास सील जारी और जमा कराने का रिकॉर्ड-रजिस्टर रखने और उसकी प्रमाणित प्रति को साक्ष्य बनाने की अलग से पृथा शुरू की ।इससे ट्रायल में बचाव पक्ष के टेंपरिंग के आक्षेप से पूरे प्रकरण को अप्रभावित रखा।

नारकोटिक्स बरामद करने के कुछ अभियानों में कई बार एक से अधिक प्रकार की कम या ज़्यादा ड्रग्स बरामद होती है और कभी कभी कुछ नारकोटिक्स कमर्शियल मात्रा में नहीं होती और इस दशा में निर्धारित मात्रा के सेम्पल नहीं लिए जा सकते इसलिए deviation के कारण सम्बंधित दस्तावेजों में मौके पर दर्शाने चाहिए। कभी कभी बरामद पदार्थ प्रस्तुत करने के लिए, अभिग्रहण या जांच करने वाले अधिकारी को ही निर्देश मिलते है, ऐसे में बरामद पदार्थ को न्यायालय, इन्वेंटरी सत्यापन या प्री-ट्रायल डिस्पोजल आदि के लिए प्रस्तुत करने का भार मालखाना अधिकारीयों का होता है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार, अभिग्रहीत वस्तुओं के राज्यसात का आदेश पारित होने और जब्त किए गए वाहन को नीलाम करने से पहले, संबन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार है। माननीय उच्चतम न्यायलय ने क्रिमनल अपील संख्या 2562/ 2024 में जारी आदेश दिनांक 14.05.2024 में भी कहा है कि वाहन के पंजीकृत स्वामी को सुने बिना राजयसात का आदेश नहीं करना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों (ईमेल, व्हाट्सएप चैट आदि) की स्वीकार्यता के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65बी वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 और हेश वेल्यू प्रमाणपत्र की हमारे द्वारा देखे जा रहे मामले, चाहे किसी भी अधिनियम में हो , पालना की जानी चाहिये।

इसके अलावा जब भी कोई केस बनता है तो फ्रंट में कुछ लोग ही दिखते है,जबकि बहुत से साथी, हमें कई प्रकार का सपोर्ट बरामदगी, गिरफ़्तारी, जांच, रिमांड आदि में करते है, इसलिए उल्लेखनीय प्रकरणों में विभाग या उच्चाधिकारियों से जब भी प्रसंशा पत्र जारी हो तो टीम के अन्य लोगों के योगदान को इंडोर्स कर यथोचित श्रेय दिलाते रहें तो हमेशा सबका साथ और सहयोग जारी रहेगा।

****

नोटः-

(i) सामग्री में व्यक्त किए गए उपरोक्त विचार या राय आवश्यक रूप से व्यक्ति, विभाग या सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं और इसका उपयोग कानूनी सलाह या पेशेवर सलाह के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) इस लेख को तैयार करने में सहयोग के लिए अधीक्षक श्री उमेश कुमार अग्रवाल को धन्यवाद।

Problem Structuring and Decision Making

By – Ravindra Khokhar, Inspector,
CCO, Jaipur

Have you ever been overwhelmed by a problem at work? And wondered where to begin solving it?

Well, you can start with taking a deep breath and then just thinking about the problem. Once you have identified the problem, you can move towards the next critical stage: Structuring it or breaking it down into smaller, manageable chunks.

Basically, a problem is by definition a situation that one desires to change. Moving a system toward a desired alternate state is the goal of problem solving. To solve a problem, however, you need to know where you are, where you want to go, and what your options are for getting there. We call this "structuring the problem".

For example:- imagine a tree, where the trunk of tree is the main problem and its branches and leaves are the chunks of the problem.

So, first of all you have to identify the problem and then after you have to identify the root causes of the problem. Once you have identified the root causes of the problem then only you can begin work with the ideas which leads you to the desirable solution. As Yogi Berra reputedly said, **"If you don't know where you're going, you might not get there."** To solve any problem, you first need to understand a problem, give it structure, and conceive of ways to solve it, you must also understand its origins and why it has not previously been resolved. Understanding the driving forces that caused your problem should give you some insight into leverage points where you can apply pressure to help solve it.

So, to be a successful problem solver you must go through these stages:

1. **Recognizing and define the problem**
2. **Finding possible solutions**
3. **Choosing the best possible solution**
4. **Implementing the solution**

Problem solving requires two distinct types of mental skill: analytical and creative.

Analytical or logical thinking includes skills such as ordering, comparing, contrasting, evaluating and selecting. It provides a logical framework for problem solving and helps to select the best alternative from those available by narrowing down the range of possibilities

Creative thinking is a divergent process, using the imagination to create a large range of ideas for solutions. It requires us to look beyond the obvious, creating

ideas which may, at first, seem unrealistic or have no logical connection with the problem.

Tips & Tricks for solving your problem more easily:-

1. Accept the problem :- This is the one I try to do first when I run into a problem and I use it almost every time. When you accept that the problem already exists and stop resisting then you also stop putting more energy into the problem and “feeding it”. Now, you can use the energy you previously fed the problem with – the energy that probably made the problem look bigger than it was – to find creative solutions to the challenge.

2. Gather some good knowledge & Information:- Information about your problem can often decrease that uncertain anxiety and fear we face when we are challenged with something. **Knowledge wisps away the clouds of fear around a problem**. And we often find that the problem might not be as bad as we thought. Open your mind to a solution that may work and try it out instead of just making snap judgments based on little information and experience.

3. Try to figure out possible problems along the way:- This is something you can do before the problem even arises. Be prepared. When you research – as described in point # 2 – also try to find out what others in the same situation ran into, what challenges they faced. Ask people what they did. If you don’t have anyone to ask then books, forums and blogs are good resources for gathering the personal experience of people. Also, be on the lookout for local groups and organizations. Google it and see what you find**. If you keep your eyes and ears open, you are sure to find something helpful.**

4. Ask for help:- You can ask people for advice on what to do and what they did in similar situations like yours. But you can also ask for more practical help. You don´t have to solve every problem on your own and sometimes it feels better to have someone by your side, even if it is just for emotional support.

5. Come up with more than one solution:- You don´t know what will actually work before you try it. What may seem like a good solution in theory doesn´t always work in reality. So brainstorm and come up with more than one solution. If the first one does not work, try the next one.

6. Redefine failure:- This is important both to handle fear of failure for the whole problem and to get you started in trying different solutions without too much hesitation. The definition of failure we are brought up with in society might not be the best and most useful to have. If you look at the most successful people you quickly notice that they have a different response to failure than the more common one. They **don´t take failure or rejection too seriously**. They know it´s not the end of the world if they fail. Instead they look at each failure and see the bright side of them: what they can **learn from it and improve next time.** They have an abundance-mentality.. They learn from it and then they try again. Redefine failure as feedback and as a natural part of successful life.

7. <u>Break down the problem into smaller pieces:-</u> Completing a task or solving a problem can seem overwhelming and impossible if you take it all in at once. **To decrease anxiety and think more clearly try to break the problem down.** Try to identify the different things and people it consists of. Then figure out one practical solution you can take for each of those pieces. Try those solutions. They may not solve the whole problem immediately. But they might solve a few pieces of it. And then you can keep trying other solutions for the rest of the pieces until there are none left.

8. <u>Find the lesson or opportunity within the problem:-</u> There is almost always a good side of a problem. Perhaps it alerts us to a great way to improve our business. Or it teaches us how our lives perhaps are not as bad as we thought. Finding this more positive part of the problem reduces its negative emotional impact and you may even start to see the situation as a great opportunity for you. When you are faced with a problem ask yourself: How can I use this? What is the good thing about this? What can I learn from this? What hidden opportunity can I find within this problem?

9. <u>Talk about the problem and communicate clearly:-</u> Many problems arise because someone misinterpreted what someone else said. One way to make sure that you and everyone else have the same interpretation of the problem. If a conflict arises then maybe you need to just talk it out, let go of a bit of steam, emotion and tension instead of everyone bottling it up. After that the discussion may be less emotionally charged. And it becomes easier to communicate clearly and reach a good solution for everyone involved.

10. <u>Keep your motivation up:-</u> It´s easy to be discouraged, especially if you fear failure and your first and second solution to a problem did not work. You might feel like just giving up. Then it´s time to give yourself a boost of motivation. Changing your mental state to a brighter, more positive and more motivated one can make all the difference in the world. It will keep you going. Even if just a few minutes earlier you felt that all hope was gone.

<u>SUMMARY</u>

The Solution of a problem always starts with proper identification of the problem and finding out its root causes. It is more efficient to do the right thing slowly than to do wrong thing quickly. Recognition/identification of problem is followed by analysis, based on which, an option tree may be created, which contains all the possible options. Then, we only have to choose the best one using some kind of Decision Making Mechanism. Finally, it is important to appreciate the success of the solution we chose and take notes of whatever we learned from this problem solving method and about its future uses as well.

****